न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा

जमानत आवेदन संख्या–505 / 2026

CNR No. UPGD01001529-2026

शेखर कुमार वर्मा उर्फ गोलू, आयु करीब 30 वर्ष, पुत्र राजेन्द्र वर्मा, निवासी इमिलिया गुरूदयाल, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–508 / 2026

CNR No. UPGD01001540-2026

पवन मिश्रा उर्फ बब्लू, आयु करीब 35 वर्ष, पुत्र रमाकान्त मिश्रा, निवासी न्यू जानकी नगर प्रजापति पुरम, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

.....अभियोजन।

दिनांक–12.03.2026

1. जमानत प्रार्थना पत्र सं0–505 / 2026 आवेदक / अभियुक्त **शेखर कुमार वर्मा** की ओर से एवं जमानत प्रार्थना पत्र सं0–508 / 2026 आवेदक / अभियुक्त **पवन मिश्रा उर्फ बब्लू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–111 / 2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 191(2), 109(1), 351(3), 324(4), 352 बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र के एक ही घटना एवं मुकदमा अपराध संख्या–111 / 2026 से सम्बन्धित होने के कारण, दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. आवेदक / अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में जिला कारागार गोण्डा में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

4. वादी मुकदमा सौरभ सिंह द्वारा दिनांक 03.02.2026 को समय 00:06 बजे, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि वह दिनांक 02.02.2026 को समय करीब 01:30 बजे दिन में घर के पास से किक्रेट खेलकर आ रहा था, इतने में मारपीट के पुराने विवार के खुन्नस में शेखर वर्मा उर्फ गोलू, लिटिल वर्मा, शुभम वर्मा व एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डा, मुक्का, थप्पड़, ईंट, पत्थर से उसे मारा, जिससे उसे व उसके दोस्त अर्पित श्रीवास्तव को काफी चोटें आई है। विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए भाग गए। विपक्षीगण गल्ला

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.12 16:43:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मण्डी सम्मय माता मन्दिर के बगल के रहने वाले है और उसका मोबाइल छीनकर तोड़ फोड़ दिये है।

5. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से काफी विचार विमर्श के बाद दर्ज करायी गयी है, जो किसी तरह विश्वास करने के योग्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पवन मिश्रा उर्फ बब्लू नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि स्थानीय पुलिस द्वारा उसको पूछताछ के बहाने थाना बुलाकर महज हैरान व परेशान करने की नीयत से फर्जी तरीके से वांछित कर दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त शेखर कुमार वर्मा उर्फ गोलू के भाई व उनके साथ कार्य कर रहे मजदूर को दिनांक 26.07.2025 को मारा पीटा गया, जिसमें उसके भाई व लेबर को काफी चोटें आयी थी, जिस पर वादी मुकदमा व अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–232/2025 दर्ज कराया गया था, उसी रंजिश के कारण फर्जी घटना दिखाकर यह मुकदमा लिखाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी राजनैतिक पहुॅच के बल पर पुलिस से सांठ गांइ करके धारा 109(1), 191(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोतरी करवा दिया गया है। वे घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं हुए है। वादी मुकदमा राजनैतिक पहुॅच वाला व्याक्ति है जो उनके पूरे परिवार को गांव से उजाड़ देने की धमकी देता रहता है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि महज रंजिशवश वांछित करा दिया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे दिनांक 12.02.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बलवा कारित करते हुए वादी मुकदमा व उसके दोस्त को मार पीटकर चोट पहुंचाने तथा वादी को जान से मारने की नीयत से उसे लाठी, डण्डा, मुक्का, थप्पड़, ईंट, पत्थर से मारने पीटने एवं गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने तथा उसका मोबाईल छीनकर तोड़ने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त कथनों के आधार पर दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

7. मैंने आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. अभियोजन अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त शेखर वर्मा उर्फ गोलू प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा आवेदक/अभियुक्त पवन मिश्रा उर्फ बब्लू प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बलवा कारित करते हुए वादी मुकदमा व उसके दोस्त को मार पीटकर चोट पहुंचाने तथा वादी को जान से मारने की नीयत से उसे लाठी, डण्डा, मुक्का, थप्पड़, ईंट, पत्थर से मारने पीटने, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने तथा उसका मोबाईल छीनकर तोड़ने का अभियोग लगाया है।

9. केस डायरी में संलग्न वादी मुकदमा/मजरूब सौरभ सिंह की आघात आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 4 चोटें पायी गयी है, जिसमें चिकित्सक द्वारा चोट सं0–3 व 4 को साधारण प्रकृति का बताया गया है तथा चोट सं0–1 व 2 के सम्बन्ध में एक्स रे हेतु सन्दर्भित किया गया। मजरूब/वादी मुकदमा की एक्स रिपोर्ट में एन0ए0डी0 अंकित है। मजरूब अर्पित श्रीवास्तवा की आघात आख्या में बाए हाथ की कोहनी में दर्द की शिकायत होने का उल्लेख है, अन्य कोई चोट अंकित नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 12.02.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

10. अतः मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्तगण शेखर कुमार वर्मा उर्फ गोलू एवं पवन मिश्रा उर्फ बब्लू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–111/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 191(2), 109(1), 351(3), 324(4), 352 बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के मामले में आवेदक/अभियुक्त **शेखर कुमार वर्मा उर्फ गोलू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–505/2026 एवं आवेदक/अभियुक्त **पवन मिश्रा उर्फ बब्लू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–508/2026 **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0–508/2026 पर भी रखी जाए।

दिनांक–12.03.2026

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863